

प्रपत्र-5

रु. 200/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर।

क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र

चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निजी खातेदारी/गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर की योजना की भूमि के नियमन एवं पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है और मैं उक्त निजी खातेदारी/गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना का भूखण्ड संख्या आवंटी एवं कब्जाधारी हूँ या खातेदार से क्रय किये गये भूखण्ड का स्वामित्वधारी हूँ। इस कारण उक्त हैसियत से मैं अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन की जाने वाली या पट्टा जारी करने की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप किसी समिति या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कानूनी विवाद को लेकर जविप्रा को यदि किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो उक्त राशि को या गणना की त्रुटि या अन्यथा कोई राशि वसूल योग्य निकली है तो वह मेरे से पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।

अतः यह क्षतिपूर्ति बंधक पत्र मैंने निजी खातेदारी/गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना के भूखण्ड संख्या के स्वामित्वधारक एवं कब्जाधारी या भूखण्ड के क्रेता की हैसियत से निष्पादन व हस्ताक्षरित करके प्रमाणित करवा दिया है जो कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए।

इस भूखण्ड के पेटे किसी प्रकार की देय राशि बकाया के भुगतान हेतु मैं जिम्मेदार रहूंगा उक्त राशि मुझसे नियमानुसार वसूली होगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

नाम / आवंटी / कब्जाधारी.....

पिता/पति का नाम

प्लॉट नंबर

स्कीम

गवाह

1. हस्ताक्षर

नाम व संपूर्ण पता

व्यवसाय

2. हस्ताक्षर

नाम व संपूर्ण पता

व्यवसाय